



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941

No. 389]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(आंतरिक व्यापार अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2019

फा.सं. पी-55015/2/2019-आंतरिक व्यापार.—इस अधिसूचना को राजपत्र अधिसूचना क्र.सं. 220 दिनांक 29.07.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया जा रहा है।

1. उक्त अधिसूचना में, क्र.सं. 1 के बाद पैरा 2 के तहत मौजूदा तालिका में निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जाए।

क्र.सं.	सदस्य	स्थिति	टिप्पणी
1क.	व्यापारियों के मामलों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति - प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से एक व्यक्ति	सदस्य (गैर-सरकारी)	केंद्र सरकार द्वारा नामित

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
(INTERNAL TRADE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2019

F. No.P-55015/2/2019-Internal Trade.—This notification is being issued in partial modification of Gazette Notification S. No. 220 dated 29.07.2019.

1. In the said Notification, in the existing table under para 2 after Sl.No.1, following entry may be inserted.

Sl. No.	Members	Status	Remarks
1A.	Persons capable of representing the issues of traders – one person from each State and Union Territory	Member (Non-official)	Nominated by Central Government

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.